

# Order Sheet [Contd]

Case No. .... of 20 ....

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer   | Signature of Parties or Pleaders where necessary   |
|-----------------------------|---|--|
| 15/5/18                     | <p>राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 उप0।<br/>आरोपी रमेश सहित अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा उप0।<br/>आरोपी रिकू उर्फ भट्टले अनुपस्थित।<br/>अनुपस्थित आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 317 के अंतर्गत हाजिरीमाफी आवेदन प्रस्तुत किया गया, वाद विचार आवेदन स्वीकार किया गया एवं अनुपस्थित आरोपी की उपस्थिति जरिए अधिवक्ता मान्य की गई।<br/>प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।<br/>आज दिनांक को फरियादी आरती जाटव उपस्थित फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री आर0एम0 शर्मा द्वारा की गई।<br/>इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि उनके मध्य मीडिएशन के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने की संभावना है। अतः प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु भेजा जावे। चूंकि उभयपक्षों के मध्य प्रकरण में मीडिएशन के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने के संभावना है, अतः प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु अध्यक्ष माध्यास्थता समिति की ओर भेजा जाता है, उक्त संबंध में रैफरल ऑर्डर जारी किया जावे। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वह मीडिएशन की कार्यवाही हेतु अध्यक्ष माध्यास्थता समिति के समक्ष उपस्थित रहे।<br/>प्रकरण मीडिएशन की रिपोर्ट हेतु चाय काल पश्चात् पेश हो।<br/>(प्रतिष्ठा अवस्थी)<br/>जे0एम0एफ0सी0 गोहद</p> <p>पुनश्च—<br/>राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 उप0।<br/>आरोपी रमेश सहित एवं आरोपी रिकू की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा उप0।<br/>फरियादी आरती जाटव उप0। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री आर0एम0 शर्मा द्वारा की गई है।<br/>इसी प्रकम में मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त, अभिलेख में संलग्न की गई।<br/>इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामे करने की अनुमति चाही गई।</p> | <p>आरती<br/>Identified by me<br/>आर. एम. शर्मा एड<br/>रमेश<br/>रिपोर्ट हेतु द0प्र0सं0<br/>अभिलेख<br/>Identified by me<br/>कमलेश शर्मा एड</p> |

Date of  
Order or  
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Part  
Pleadings  
necessary

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।


प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रस्तुत प्रकरण में आरोपीगण पर भा०द०सं० की धारा 294, 323 एवं 506- भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं। आरोपीगण पर आरोपित अपराध न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। फरियादी आरती जाटव ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया गया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोक नीति के अनुकूल है अतः वाद विचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामे के आधार पर आरोपी रमेश एवं रिकू उर्फ भट्टे को भा०द०सं० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी रिकू उर्फ भट्टे अनुपस्थित है उसकी दोषमुक्ति की सूचना उसके अभिभाषक को दी गई।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं, उनके जमानत एवं मुचलके मारहीन किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

  
(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
जे०एम०एफ०सी० गोहद